# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
# दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

**प्रेस वक्तव्य**

**दिनांक–15 अप्रैल, 2017**

## बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से आदिवासियों को खदेड़ने के सरकारी निर्णय के खिलाफ संघर्ष का आह्वान!

केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण(एनटीसीए) द्वारा देश के बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी एवं अन्य लोगों के सभी अधिकार निलंबित करते हुए जारी जन विरोधी निर्देशों का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़ा विरोध करती है और पीढ़ियों से निवासरत आदिवासियों एवं अन्य लोगों को बाघ अभयारण्य इलाकों से खदेड़ने के लिए उद्देश्यित इन निर्देशों को अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार आन्दोलन करने अभयारण्य इलाकों में निवासरत आदिवासियों सहित छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी जनजातियों, आदिवासी सामाजिक संगठनों, सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का आह्वान करती है एवं देश, दुनिया के मानवाधिकार संगठनों, पर्यावरणवादियों, प्रगतिशील–जनवादी बुद्धिजीवियों, लेखक–कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, मानव विज्ञानियों, इतिहासकारों से उक्त आन्दोलन की हर संभव मदद् करने की अपील करती है.

एनटीसीए ने बाघ अभयारण्य क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों पर पाबंदी लगाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों को हाल ही में नोटिस भेजा है. ज्ञात रहे, छत्तीसगढ़ में पहले से ही तीन बाघ अभयारण्य – बिलासपुर के अचानकमार, बस्तर के इंद्रावती और गरियाबंद के सीतानदी–उदंती बाघ अभयारण्य हैं. हाल ही में सूरजपुर जिले के तमोर–पिंगला को नए टाइगर रिजर्व बनाए जाने को मंजूरी मिल गयी है. एनटीसीए के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 46 बाघ हैं जबकि अचानकमार में यह संख्या 28 है. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त दावे को अव्यवहारिक करार दिया. राज्य के चार बाघ अभयारण्यों के करीबन 7 हजार 200 वर्ग किमी से भी ज्यादा क्षेत्र नए आदेशों के दायरे में आता है. इन आदेशों की वजह से करीबन 155 गांव और 70 हजार आदिवासी आबादी विस्थापित होगी.

यहां यह बताना लाजिमी होगा कि अपनी कमियों व खामियों के बावजूद वनाधिकार कानून (फॉरेस्ट राइट्स एक्ट) 2006, वनों के समस्त रहवासियों को फसल और वन संसाधनों का उपयोग करते हुए परंपरागत आजीविका बनाए रखने का अधिकार देता है. राज्य के 10 लाख परिवारों द्वारा वनाधिकार पट्टे की पिछले 10 सालों से मांग करने के बावजूद अब तक आधे से ज्यादा परिवारों को पट्टे नहीं मिले हैं. एनटीसीए के हालिया आदेशों से टाइगर रिजर्व के रहवासियों पर वनाधिकार से ही नहीं बल्कि वनों से ही बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है. क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मुताबिक टाइगर रिजर्व का कोर जोन बाघों की मातृभूमि होती है, इसीलिए वहां से गांव हटाए जाते हैं. जबकि बफर जोन में बाघ और ग्रामीण दोनों साथ में रहते हैं जिससे दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं.

हमारी पार्टी यह मानती है कि एनटीसीए के हालिया निर्देश कई मायनों में जन विरोधी खासकर आदिवासी विरोधी एवं देश विरोधी हैं. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम पर इन्सानों को जानवरों से भी गया गुजरा समझने की अमानवीय व बर्बर सोच का नतीजा है, ये निर्देश. गाय को माता मानकर गोरक्षा के नाम पर साथी इन्सानों पर जानलेवा हमलें व हत्याएं करवाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गिरोह की विचारधारा वाली ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार के अधीन कार्यरत एनटीसीए द्वारा बाघ संरक्षण के नाम पर देश भर के जंगलों से लाखों आदिवासियों को बेदखल करने के दिशा–निर्देश जारी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. ये भाजपा सरकार के असली चरित्र व स्वभाव को उजागर करने वाले आदेश हैं. दरअसल आदिवासियों को उनके जल–जंगल–जमीन से बेदखल करके बेशकीमती खनिज संसाधनों सहित उन्हें देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश के तहत ही ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वायुसैनिक अड्डे का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसका हमारी पार्टी के नेतृत्व मं वहां की जनता डटकर मुकाबला कर रही है. सीतानदी–उदंती

अभयारण्य के दसियों गांवों को खाली कराने वन विभाग के आदेश एक दशक से भी ज्यादा समय पहले पारित किए गए थे. लेकिन उक्त इलाके में क्रांतिकारी आन्दोलन के विस्तार के बाद वहां के आदिवासी हमारी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट होकर विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने जंगल में अपनी जमीन पर बेरोकटोक निवास कर रहे हैं. क्रांतिकारी आन्दोलन का खात्मा करने एवं तद्वारा जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों को कौड़ियों के भाव सौंपने के लिए ही भारत के शोषक–शासक वर्गों की सरकारें हमारी पार्टी सहित देश की उत्पीड़ित जनता एवं जन हितैषियों पर नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट जारी रखी हुई हैं.

टाइगर रिजर्व के अधिकांश इलाकों में संविधान की 5 वीं अनुसूची लागू है. पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं. ग्राम सभाओं की अनुमति या उनसे परामर्श के बगैर कोई भी यहां तक कि सरकार भी आदिवासियों की जमीन को छीन नहीं सकती है. किसी प्रकार के परामर्श, विचार–विमर्श, जनसुनवाई के बिना ही एनटीसीए द्वारा जारी आदेश आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है. इसलिए ये आदेश भारत के संविधान का खुला उल्लंघन हैं, इसलिए गैर–संवैधानिक हैं. हालांकि भारत के शोषक–शासक वर्ग अपने ही संविधान का उल्लंघन करते हुए उसके द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों से उन्हें वंचित करने का सिलसिला कोई नयी बात नहीं है. दूसरी ओर एनटीसीए द्वारा बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से वहां के रहवासियों के तमाम अधिकारों को निलंबित करते हुए आदेश जारी करना वनाधिकार कानून, 2006 में अवैध हस्तक्षेप है. उसका मजाक उड़ाने के बराबर है. यहां हमारी पार्टी तमाम जनवादी–प्रगतिशील ताकतों, आदिवासी व गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों को आगाह करना चाहती है कि ये आदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ही जारी किए गए हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने भी पारदर्शिता न बरतते हुए, आदिवासियों के हितों को ताक पर रखकर उक्त आदेश जारी करने में एनटीसीए का रास्ता सुगम बनाया है. एक बात में कहा जाए तो एनटसीए द्वारा बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से आदिवासियों सहित अन्य लोगों को खाली कराने के आदेश आदिवासियों के साथ केंद्र सरकार का भद्दा मजाक है.

यह जगजाहिर है कि सदियों से जंगलों में वन्यजीव एवं आदिवासी साथ–साथ रहते आए हैं और वनों, वन्यजीवों व आदिवासियों के बीच संतुलन, सामंजस्य, संरक्षण व संवर्धन बेजोड़ जारी रहा. आदिवासियों की वजह से वन, वन्यजीव या पर्यावरण कभी नष्ट हुए हैं और न होंगे. पहले अंग्रेजी साम्राज्यवादियों, बाद में भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा बनाए गए वन कानूनों, उनके द्वारा अपनायी गयी जन विरोधी, आदिवासी विरोधी नीतियों, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों के अंधाधुंध दोहन व लूट, जंगल कटाई, सरकारी संरक्षण व भागीदारी से वन माफियाओं, खनिज माफियाओं, वन्यजीव शिकार माफियाओं द्वारा जारी लूट की वजह से वनों, वन्यजीवों व आदिवासियों के बीच तालमेल बिगड़ गया और आदिवासियों की जीवनशैली भी बूरी तरह प्रभावित हो गयी. वन्यजीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया.

यहां यह समझना आवश्यक है कि समस्या की जड़ हैं, शोषक–शासक वर्ग एवं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें. इसलिए सरकारों की इन जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, देश विरोधी नीतियों का भंड़ाफोड़ करना चाहिए. कानूनी, खुला, गुप्त, गैर–कानूनी हर संभव तरीके से लड़ते हुए एनटीसीए के अवैध आदेशों को रद्द कराना होगा. बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से जबरन खाली कराने के वन विभाग, पुलिस–प्रशासन या अर्धसैनिक बलों की कोशिशों को नाकाम करने हाथ लगे हथियार उठाकर सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर कदम बढ़ाना आवश्यक है. यही अपने अस्तित्व, अस्मिता, आत्मसम्मान, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने का असली व जायज रास्ता है.

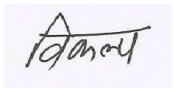

(विकल्प)
प्रवक्ता
**दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी**
**भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**